भाग 3

संविधान के अधीन नियम और आदेश

वे अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे[1]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा अनुच्छेद 173 के खंड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना संख्या 3/3/66, तारीख 25 अप्रैल, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग [2][एतद्द्वारा---

(i) सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों को,

(ii) सभी साम्बलिक प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी साम्बलिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को, और

(iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा जिला न्यायाधीशों से भिन्न सभी उन व्यक्तियों को जो किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, राज्य सभा में, अथवा लोक सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की विधान सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की, जहां विधान परिषद् हो, विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नामनिर्देशित हो जाने पर, उक्त संविधान की तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

2. पैरा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा उक्त अनुच्छेद 173 के खंड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है, जिनके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है, तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है :-

(क) जहां कि अभ्यर्थी किसी कारागार में परिरुद्ध है वहां उस कारागार का अधीक्षक ;

(ख) जहां कि अभ्यर्थी निवारक निरोध में है वहां उस निरोध-शिविर का समादेशक ;

(ग) जहां कि बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अभ्यर्थी किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर रोग-शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीक्षक या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक ;

(घ) जहां कि अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति ;

(ङ) जहां कि अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण---इस अधिसूचना में---

(1) "सम्पृक्त रिटर्निंग आफिसर" पद से अभिप्रेत है---

(क) जहां कि कोई व्यक्ति लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ;

---

[1] देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii), पृष्ठ 361 में प्रकाशित भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 का0आ0 1111, तारीख 18 मार्च, 1968 ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 3798, तारीख 25-10-1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) जहां कि कोई व्यक्ति राज्य सभा के किसी स्थान को भरने के लिए किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर ;

(ग) जहां कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर ;

[1][(1क)] "जिला न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में क्रमशः दिए गए है ।]

(2) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र", "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" तथा "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में क्रमशः दिए गए हैं ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 3798, तारीख 25-10-1968 द्वारा अंतःस्थापित ।